अविलंब निर्गत

सत्यमेव जयते

प्रेस विज्ञप्ति

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन
(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)
बिहार सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन सं.–5

विस्तृत हिन्दी प्रतिवेदन के लिए क्यू. आर. कोड स्कैन करें

अविलंब निर्गत

प्रेस विज्ञप्ति

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा) 16 दिसंबर 2022 को बिहार विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में कुल पाँच अध्याय हैं, जिनमें 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, 'वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण' और 'अवसर बढ़े आगे पढ़े के अन्तर्गत स्थापित अभियंत्रण एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों की कार्यपद्धति' पर दो दीर्घ कंडिकाओं एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा के आधार पर चार लेखापरीक्षा कंडिकाओं के निष्कर्ष शामिल है। **मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:**

अध्याय–II: निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

- कृषि विभाग के पास योजना[1] के संभावित लाभार्थियों की कोई मौजूदा सूची नहीं होने से 71,45,065 लाभार्थी ₹3,443.55 करोड़ से वंचित रहे।

  (कंडिका 2.6 एवं 2.6.1)

- 164 लाख प्रचलित भूमिधारकों के विरूद्ध पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या केवल 82.50 लाख (50 प्रतिशत) थी (अगस्त 2021)। अपर्याप्त आच्छादन के लिए विभाग के पास संभावित लाभार्थियों की कोई मौजूदा सूची नहीं होने, अन्य योजनाओं के मौजूदा डाटाबेस तक पहुंच नहीं होने, ऑफ़लाइन आवेदनों के लिए किसी भी विकल्प का प्रावधान नहीं करने आदि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

  (कंडिका 2.6.2)

- ऑफ लाईन आवेदन का विकल्प नहीं देकर राज्य सरकार ने वैसे किसानों को योजना के लाभ से वंचित कर दिया, जो ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सके थे।

  (कंडिका 2.6.3)

- कृषि विभाग आयकर भुगतान की स्थिति और योजना के लाभ हेतु पात्रता निर्धारित करने वाली अन्य सूचनाओ के विषय में लाभार्थियों द्वारा की गई स्व–घोषणाओं पर निर्भर था। परिणामस्वरूप, 82,50,032 पंजीकृत लाभार्थियों में से, 48,366 अपात्र लाभार्थी जो आयकर दाता थे जिन्हें ₹ 39.05 करोड़ (नवंबर 2021) का योजना का लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, 19,485 मामले जिनमें ₹23.62 करोड का भुगतान (नवंबर 2021) हुआ था, लाभार्थी के रोजगार, मृत्यु मामलों आदि के आधार पर अपात्र थे।

  (कंडिका 2.6.4)

- 10 नमूना जाँचित जिलों में, 22,301 अवयस्क लाभार्थियों (कुल पंजीकृत अवयस्क लाभार्थियों का

---

[1] *भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.–किसान) योजना, सभी पात्र किसान परिवारों को उचित फसल स्वास्थ्य एवं उचित पैदावार सुनिश्चित करने के साथ–साथ उनकी घरेलू जरूरतों के लिए वित्तीय आवश्यकता को संबल प्रदान करने हेतु प्रत्येक चार माह में ₹ 2,000 की तीन समान किस्तों में ₹6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान करती है।*

91 प्रतिशत) को ₹23.59 करोड़ की राशि के अस्वीकार्य लाभ का भुगतान किया गया था क्योंकि पी.एम.–किसान के तहत लाभ के लिए आवेदन में कट–ऑफ तिथि अर्थात् 1 फरवरी 2019 को लाभार्थी की आयु को संज्ञान में नहीं लिया गया था।

(कंडिका 2.6.5)

- विफल और लंबित भुगतानों के कारण राज्य के लाभार्थियों को ₹50.48 करोड़ का हस्तांतरण नहीं किया जा सका जो दर्शाता है कि विभाग द्वारा आवश्यक सत्यापन और विवरण को अद्यतन करना शेष था।

(कंडिका 2.7.1)

- बैंक खाते से संबंधित विसंगतियों के कारण पी.एफ.एम.एस. द्वारा 67,535 लाभार्थियों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए थे जो इस तथ्य के कारण थीं कि– (i). राज्य के डी.बी.टी. पोर्टल पर बैंक खाता विवरणों की जाँच की सुविधा नहीं थी और (ii). राज्य नोडल अधिकारी ने इस तथ्य को केंद्र सरकार के संज्ञान में नहीं लाया था।

(कंडिका 2.7.2)

- 175 लाभार्थियों से संबंधित ₹22.62 लाख के योजना लाभ अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए थे, जो लाभार्थियों के बैंक खाते के विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करने के मौजूदा तंत्र में कमजोरी की पुष्टि करते हैं। राशि की वसूली किया जाना अभी तक बाकी (नवंबर 2021 तक) था।

(कंडिका 2.7.3.1)

- 10 नमूना–जाँचित जिलों में से छः में, डी.ए.ओ. द्वारा राज्य नोडल कार्यालय को भुगतान रोकने के आग्रह के बावजूद, 138 लाभार्थियों को ₹6.96 लाख का भुगतान किया गया था।

(कंडिका 2.7.3.2)

- अपात्र 67,851 लाभार्थियों से वसूली योग्य ₹62.67 करोड़ के विरूद्ध, लगभग ₹5.00 करोड़ (आठ प्रतिशत) वसूल किया गया (फरवरी 2022 तक) था और इसे अभी तक भारत सरकार को हस्तांतरित किया जाना शेष था क्योंकि समाशोधन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी।

(कंडिका 2.7.6)

- समर्पित पी.एम.यू. की स्थापना न करने के कारण बिहार सरकार 2018–21 की अवधि के लिए भारत सरकार से ₹9.48 करोड़ प्राप्त नहीं कर सकी। पुनः, समर्पित पी.एम.यू. के अभाव ने योजना की प्रभावी निगरानी को प्रभावित किया।

(कंडिका 2.8.1)

- योजना के प्रारम्भ (फरवरी 2019) से अगस्त 2021 तक अर्थात् 31 माहों के दौरान, केवल 9,408 शिकायतों (23 प्रतिशत) का निवारण किया गया, जबकि सितंबर 2021 से नवंबर 2021 (तीन माह) के दौरान शेष 30,674 (77 प्रतिशत) शिकायतों का निवारण किया गया। संबंधित अभिलेखों के अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि लाभार्थियों की 30,674 लंबित शिकायतों, जिन्हें निष्पादित इंगित किया गया था, का निवारण वास्तव में किया गया। साथ ही, विभिन्न अधिकारियों ने शिकायत मामलों का सत्यापन नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.8.4)

- योजना के प्रारम्भ से कम से कम एक किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या की तुलना में लाभार्थियों की संख्या में कुल 1,30,492 की कमी पाई गई। यद्यपि, कृषि विभाग ने लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

(कंडिका 2.8.6)

- आवेदनों के निष्पादन में 124 दिनों (एक तिमाही) से अधिक के विलंब के कारण संभावित

लाभार्थियों को ₹92.00 लाख का भुगतान नहीं किया जा सका था।

(कंडिका 2.8.9)

विस्तृत अनुपालन लेखा परीक्षा

अध्याय–III: वित्त विभाग में आंतरिक नियत्रंण

- वित्त विभाग ने जिला स्तरीय डी.डी.ओ. द्वारा पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिला लेखा अधिकारी के पद के उचित/प्रभावी काम–काज को सुनिश्चित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय अनुशासन का अभाव था।

(कंडिका 3.6)

- धन के समर्पण/चूक, कई बैंक खातों के अविवेकपूर्ण संचालन, धन के विचलन, लगातार अनुचित अग्रिम आदि के मामले जिला/प्रखण्ड स्तर के कार्यालयों में बने हुए थे।

(कंडिका 3.2)

- सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी पेंशन योजना खातों के रख–रखाव में अनियमितताएं थीं जिनमें गड़बड़ी और धोखाधड़ी की संभावना थी।

(कंडिका 3.3)

- वित्त विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था के अपर्याप्त प्रबंधन ने वित्तीय नियमों/विनियमों/अनुदेशों के अनुपालन की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के अपने इच्छित उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था।

(कंडिका 3.4)

- वित्त विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में कार्यबल की भारी कमी ने अंततः आंतरिक नियंत्रण तंत्र को प्रभावित किया जिसने सरकारी धन के दुर्विनियोग, गबन, धोखाधड़ी आदि की संभावना पैदा की।

(कंडिका 3.5)

अध्याय–IV: अवसर बढ़े आगे पढ़े योजना के अन्तर्गत स्थापित अभियंत्रण एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों की कार्यपद्धति

- भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, अनुपयुक्त भूमि का अधिग्रहण, बी.सी.डी. द्वारा भवनों का निर्माण नहीं किया जाना/देरी से निर्माण, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, उपकरण सुविधाओं आदि के कारण योजना[2] का उद्देश्य विफल रहा था।

(कंडिका 4.3)

---

[2] *अवसर बढ़े आगे पढ़े (ए.बी.ए.पी.) बिहार में तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए सात निश्चय में से एक था।*

- ❖ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग शिक्षण कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के साथ गैर–शिक्षण कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण योजना का उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं कर सका जिससे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(कंडिका 4.4)

- ❖ महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा छात्रों को उनकी क्षमता से तीन गुना समायोजित करने तथा महाविद्यालयों/संस्थानों तक पहुँचने के लिए छात्रों को 30 कि.मी. से 187 कि.मी. की दूरी तय करने के साथ प्रत्येक जिला में एक अभियंत्रण महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना के निश्चय का उद्देश्य विफल हो गया।

(कंडिका 4.6)

अध्याय–V: लेखापरीक्षा कंडिकाएं

- ❖ पहुँच मार्गों के लिए भूमि सुनिश्चित किए बिना नालंदा एवं समस्तीपुर जिलों में दो उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के कारण ₹11.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ था।

(कंडिका 5.1)

- ❖ बेगूसराय जिले की एक बहु–ग्राम जलापूर्ति योजना में बिना किसी योजना के पानी के मीटर लगाने से ₹1.99 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया था।

(कंडिका 5.2)

- ❖ प्रधानमंत्री मातृ–वंदन योजना के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा अपात्र लाभार्थियों को नकद प्रोत्साहन के रूप में ₹45.43 लाख का भुगतान किया गया था।

(कंडिका 5.3)

- ❖ आवश्यक मानव बल की कमी के कारण ₹6.26 करोड़ मूल्य के आधार नामांकन किट का समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका और किट अप्रयुक्त पड़ा रहा।

(कंडिका 5.4)

अधिकारी का नाम जिनसे विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता हैः–

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अधिकारी का नाम एवं पदनाम
प्रतिवेदन (निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा) वर्ष 2021 का प्रतिवेदन सं0–5	**श्री आदर्श अग्रवाल, प्रवक्ता** **उप–महालेखाकार (प्रशासन)** कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना दूरभाष संख्याः **0612-2221941** (कार्यालय) फैक्स संख्याः **0612-2506223** **इस कार्यालय का बेवसाइटः** **cag.gov.in/ag/bihar/hi** **ई–मेलः agaubihar@cag.gov.in** **agarwala2@cag.gov.in** **श्री कुंदन कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** **(Media Officer)** **Mobile No.-** 9431624894